लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4045

25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्रों के निर्यात संबंधी निष्पादन की समीक्षा

4045. श्री सौमेंदु अधिकारी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र क्षेत्र के निर्यात निष्पादन की समीक्षा कर रही है तथा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के परामर्श से वस्त्र उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वस्त्र निर्यात हेतु दिए गए समर्थन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीददार के दिवालियापन, चूक या राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान के विरुद्ध ऋण बीमा, गारंटी और सुरक्षा प्रदान करने में निर्यात ऋण अभिकरणों की क्या भूमिका है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र मंत्रालय वस्त्रों के निर्यात निष्पादन की निरंतर निगरानी कर रहा है और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग एसोसिएशनों के परामर्श से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास कर रहा है।

(ख): सरकार जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के तहत शामिल नहीं किए गए वस्त्र उत्पाद अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के तहत कवर किए जाते हैं। इसके अलावा, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करने और उनमें भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित बाजार पहुंच पहल योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.55 के अनुसार

(i) निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के नीतिगत साधन हैं। ईसीए बीमा, गारंटी और साथ ही प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) जैसी निर्यात ऋण एजेंसियां (ईसीए) निर्यात और एक्सपोर्ट क्रेडिट लैंडिंग के लिए ऋण बीमा सहायता प्रदान करती हैं। ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों को जारी किए गए कवर, खरीदारों के दिवालिया होने या डिफ़ॉल्ट होने या राजनीतिक जोखिमों के कारण पेमेंट फेल से उत्पन्न होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्यातक ऐसे कवर के माध्यम से मौजूदा बाजारों की सुरक्षा के अलावा अपने बाजारों में विविधता ला सकते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) निर्यात को भी बढ़ावा देता है। एक्ज़िम बैंक एमएलटी निर्यात के लिए ऋण देने और सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट को आगे बढ़ाने के व्यवसाय में एक और ईसीए है।

(ii) ईसीजीसी निर्यात व्यापार में खरीदार के दिवालिया होने या डिफॉल्ट होने के कारण निर्यातकों के नुकसान की भरपाई करता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक जोखिम जैसे युद्ध, आकस्मिक आयात प्रतिबंध, शिपमेंट होने के बाद कानून या डिक्री की घोषणा के कारण होने वाले नुकसान भी कवर किए जाते हैं। शिपमेंट के बाद शुरू किए गए कुछ एंटी-डंपिंग उपाय या नॉन-टैरिफ बैरियर्स राजनीतिक जोखिम के दायरे में आएंगे। ऐसे मामलों में निर्यातक के हितों की रक्षा ईसीजीसी द्वारा की जाती है।

***